ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00155

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0
अपील इंतकाल प्रकरण सं0 39/2020

1. गणपतराम पुत्र श्री पुरखाराम जाति नायक निवासी चक 8 डी.डी. तहसील पदमपुर हाल निवासी वार्ड नम्बर 7/20 नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर अपीलांट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 4 डी.डी. डेलवा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री सतविन्द्र सिंह गिल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री गुरजीत सिंह वानर, राजकीय अधिवक्ता

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार पदमपुर द्वारा जिलाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.01.1994 द्वारा चक 8 डी.डी. डेलवा तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 11 हाल मुरब्बा नम्बर 04 के किला नम्बर 01 ता 07 का अपीलकृत इंतकाल संख्या 115 दिनांक 09.02.1993 को स्वीकार किया गया। बमुराद मंसूखिया।

आदेश

दिनांक : 11.09.2023

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :

1. यह कि अपीलांट के पिता पुरखाराम को डिवीजनल कमीश्नर के आदेश संख्या 5922 दिनांक .. द्वारा विवादग्रस्त आराजी 28.03.1993 को आवंटन की गयी। आवंटन की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आवंटन का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में हो गया। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत् 2026, मिसल बंदोबस्त नक्शा संलग्न है और इसके पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में 2035, 2038, 2022 में बतौर नाई अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 11 वर्तमान समय में मुरब्बा नम्बर 4 है जिसकी जमबान्दी भी संलग्न है।
2. अपीलांट के पिता को बिना सुने जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.01.1994 को इस आशय का आदेश राजस्व शाखा एफ12(11)( )रेव./93 में दर्ज हुआ। जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर द्वारा इस पत्रावली पर दिनांक 21.01.1994 को पिता की माफी भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम से अमल दरामद करने के आदेश दिये जो अमल दरामद तहसीलदार पदमपुर द्वारा दिनांक 19.02.1994 को किया गया। इंतकाल संख्या 115 तस्दीक किया गया जो पूर्णतया विधिविरूद्व है। इंतकाल की प्रमाणित प्रति संलग्न है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।
3. अपीलांट के पिता को उक्त आराजी बतौर माफी आवंटन हुई थी और यह आदेश जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि डिवीजन कमीश्नर बीकानेर द्वारा आवंटन किया गया था। इस आदेश को चुनौती नहीं दी गयी थी, इसके बावजूद भी जिलाधीश

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

महोदय द्वारा बिना नोटिस दिये अपीलकृत इंतकाल अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया, जो पूर्णतया विधिविरूद्व है। जिलाधीश का आदेश डिवीजनल कमीश्नर बीकानेर के आदेश संख्या 5922 दिनांक 28.03.1993 के विरूद्व आदेश दिये जाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए जिलाधीश के आदेश की पालना में अपीलकृत आदेश जो पारित किया गया है वह पूर्णतय शून्य व प्रभावहीन है।

4. यह कि अपीलांट द्वारा जिलाधीश आदेश दिनांक 21.01.1994 के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश कर दी है जो लम्बित है। इस प्रकार अपीलकृत इंतकाल प्रभावहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के पिता बीमार रहते थे उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिलाधीश महोदय द्वारा उसके विरूद्व कोई आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलांट उनका एक मात्र वारिस है। इसलिए अपीलांट द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद इंतकाल का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 22.09.2020 को हुआ। इस पर नकल प्राप्त की। आर्थिक तंगी के कारण अपील पूर्व में पेश नहीं की जा सकी। इसलिए सर्वप्रथम ज्ञान से जो दिनांक 22.09.2020 को हुआ। इसलिए अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 8 डी.डी. तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 11 हाल मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 7 का तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित इंतकाल संख्या 115 दिनांक 09.02.1993 को अपास्त किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता पुरखाराम को डिवीजनल कमीश्नर के आदेश संख्या 5922 दिनांक .. द्वारा विवादग्रस्त आराजी 28.03.1993 को आवंटन की गयी। आवंटन का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में हो गया। इसके पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में 2035, 2038, 2022 में बतौर नाई अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है। अपीलांट के पिता को बिना सुने जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.01.1994 को इस आशय का आदेश राजस्व शाखा एफ12(11)( )रेव./93 में पारित किया। दिनांक 21.01.1994 को अपीलांट के पिता की माफी भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम से अमल दरामद करने के आदेश दिये जिस पर तहसीलदार पदमपुर द्वारा दिनांक 19.02.1994 को इंतकाल संख्या 115 तरदीक किया गया जो पूर्णतया विधिविरूद्व है। अपीलांट के पिता को उक्त आराजी बतौर माफी आवंटन हुई थी उक्त आवटन डिवीजन कमीश्नर बीकानेर द्वारा किया गया था। इस आदेश को चुनौती नहीं दी गयी थी, इसके बावजूद भी जिलाधीश महोदय द्वारा बिना नोटिस दिये अपीलकृत इंतकाल अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया, जो पूर्णतया विधिविरूद्व है। जिलाधीश का आदेश डिवीजनल कमीश्नर बीकानेर के आदेश संख्या 5922 दिनांक 28.03.1993 के विरूद्व आदेश दिये जाने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलांट द्वारा जिलाधीश आदेश दिनांक 21.01.1994 के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश कर दी है जो लम्बित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर चक 8 डी. डी. तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 11 हाल मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 ता 7 का तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित इंतकाल संख्या 115 दिनांक 09.02.1993 को अपास्त किया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलकृत आदेश जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर का है जिसकी पालना में तहसीलदार पदमपुर द्वारा इन्तकाल संख्या 115 दिनांक 09.02.1993 स्वीकृत किया गया है। उक्त विवादित भूमि माफी की है के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया जाना है। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलकृत इन्तकाल के सम्बन्ध में निर्णय किया जाना है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेशों की पालना में इन्तकाल स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलकृत आदेश जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर का है जिसकी पालना में तहसीलदार पदमपुर द्वारा इन्तकाल संख्या 115 दिनांक 09.02.1993 स्वीकृत किया गया है। उक्त विवादित भूमि माफी की है के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया जाना है। अपीलार्थी अगर श्रीमान जिलाधीश महोदय के आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में कर सकता है। अतः अपील अपलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं राजकीय अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पदमपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 26.02.1994 जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.01.1994 की पालना में पारित किया गया है। जो विधिसम्मत् पारित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.1994 को तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित किया गया है, जो अपीलार्थी के कथन अनुसार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.01.1994 की पालना में पारित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का यह कथन कि उक्त भूमि माफी की थी जिसको श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन नहीं कर सकते थे का निधारण उक्त अपील में नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी उक्त विवादित भूमि माफी की है के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने खारिज करवाने हेतु स्वतन्त्र है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.1994 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के दिनांक 21.01.1994 की पालना में जारी किया गया है जो विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील निष्प्रभावी होने से खारिजाकी जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर